न्यायालय उपखण्ड अधिकारी घड़साना जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– अभिलाषा, आर.ए.एस.

अपील संख्या :– 10/2014 (2020/00210 जीसीएमएस)

1. नविता पुत्री अमरचन्द जाति बिश्नोई साकिन घड़साना हाल एसएच 7, रिद्धि सिद्धि कालोनी हनुमानगढ़ रोड, श्रीगंगानगर तहसील व जिला श्रीगंगानगर राज0।

....अपीलान्ट

बनाम

1. सरपंच, ग्राम पंचायत 2 जीडी–बी पंचायत समिति घड़साना, तहसील घड़साना जिला श्रीगंगानगर राज0।
2. भागवन्ती पत्नि रामकुमार जाति बिश्नोई साकिन 4–च–14 जवाहरनगर जयपुर जिला जयपुर – **मृतक**
3. सरिता पुत्री रामकुमार जाति बिश्नोई साकिन 4–च–14 जवाहरनगर जयपुर जिला जयपुर।
4. पुनित कुमार पुत्र रामकुमार जाति बिश्नोई साकिन 4–च–14 जवाहरनगर जयपुर जिला जयपुर।
5. देवेन्द्र कुमार पुत्र रामकुमार जाति बिश्नोई साकिन प्लाट नं. ए–107, जय जवान कालोनी प्रथम, टोंक रोड जयपुर।

....रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थितः– 1. श्री मदन ज्याणी, वकील अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री मनफूल जाखड़, वकील रेस्पोडेन्ट सं. 3 ता 5 की ओर से।

अपील विरूद्ध इन्तकाल संख्या 119 आदेश दिनांक 20.05.2011 द्वारा सरपंच ग्राम पंचायत 2 जीडी–बी

–:: निर्णय ::–

दिनांक :– 01.09.2022

अपीलान्ट की ओर से एक अपील विरूद्ध इन्तकाल संख्या 119 आदेश दिनांक 20.05.2011 द्वारा सरपंच ग्राम पंचायत 2 जीडी–बी प्रस्तुत कर निवेदन किया कि संक्षेप में प्रकरण इस प्रकार से है कि मौजा घड़साना तहसील अनूपगढ़ हाल तहसील घड़साना के खसरा नं. 108 की 14 बीघा 10 बिस्वा भूमि रामकुमार पुत्र सोहन लाल कौम बिश्नोई के नाम से कस्टोडियन में आवंटन थी। स्व. रामकुमार अपीलांट के चाचा थे। स्व. रामकुमार ने अपने जीवनकाल में अपनी उक्त खसरा की भूमि का 1 तमलीकनामा अपीलांट के गुजारा तमलीक हेतु दिनांक 08.05.1972 को रोबरू गवाहन अपीलांट के पक्ष में लिखकर तमाम हक हकूक अपीलांट को दिये। स्व. रामकुमार ने रोबरू गवाहान तमलीकनामा लिखकर उप पंजीयक अनूपगढ़ के

उपखण्ड अधिकारी
घड़साना

कार्यालय से उक्त तमलीकनामा को पंजीबद्ध करवाया। तमलीकनामा दिनांक 08.05.1972 के आधार पर अपीलांट उक्त भूमि पर बतौर मालिक अपने पिता के साथ काबिज एवं काश्त चली आ रही है एवं अपना गुजारा उक्त भूमि से कर रही है। चक बन्दी व मुरब्बा बन्दी पैमूद होने पर खसरा नं. 108 की भूमि चक 4 एसटीआर का मु.नं. 11 प.नं. 44/25 के किला नं. 6,7,14,15,17 मु.नं. 12 प.नं. 44/33 के किला नं. 8 ता 13, 18 ता 20 इस प्रकार कुल 3.515 हैक्टेयर कमाण्ड/अनकमाण्ड भूमि के रूप में पैमूद हुई। अपीलांट के चाचा स्व. रामकुमार का वर्ष 1993 में देहान्त हो गया। अपीलान्ट के चाचा के देहान्त के बाद में रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ता 5 ने रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से मिलीभगत करके गुप चुप तरीके से विधि विरूद्ध एवं कानूनी प्रावधानों के विपरित अपीलांट को सुने बिना एकतरफा इन्तकाल अपने नाम से दर्ज करवा लिया है जिससे व्यथित होकर अपीलांट की ओर से यह अपील इन आधारों पर पेश की जा रही है। अधीनस्थ न्यायालय रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का आदेश दिनांक 20.05.2011 कानूनी प्रावधानों के विपरित प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त के विरूद्ध एवं क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर अपीलांट को बिना सुने एक तरफा तौर पर पारित किया गया है। अपीलाधीन भूमि तमलीकनामा की दिनांक से ही अपीलांट एवं अपीलांट के पिता के कब्जा काश्त में चली आ रही है। विवादित इन्तकाल दर्ज करने से पूर्व अपीलांट को सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया गया है एवं ना ही अपीलांट को अपना पक्ष अथवा दस्तावेजी सबूत पेश करने का कोई मौका दिया गया है जिससे स्पष्ट है कि विवादित इन्तकाल एकतरफा रूप से रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 5 द्वारा मिलीभगत कर दर्ज किया गया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विरूद्ध है। अपीलाधीन भूमि पर अपीलांट तमलीकनामा की दिनांक से शान्तिपूर्वक काबिज है एवं आज भी मौका पर अपीलांट की फसल काश्त की हुई है लेकिन आलौच्य आदेश पारित करने से पूर्व कब्जा की जांच नहीं की गई है। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ता 5 के पास इस भूमि का कब्जा भी नहीं है। कब्जे का बिन्दु जो कि इन्तकाल दर्ज करने का अहम बिन्दु होता है जिसकी अनदेखी की जाने से आलौच्य इन्तकाल प्रथम दृष्टतया ही शून्य है। आलौच्य इन्तकाल का अवलोकन किया जावे तो उक्त इन्तकाल दर्ज करते वक्त अपीलांट के चाचा रामकुमार के मृत्यु प्रमाण पत्र एवं वारिस प्रमाण पत्र के आधार पर इन्तकाल दर्ज किया गया है। हल्का पटवारी द्वारा मृत्यु प्रमाण पत्र व वारिस प्रमाण पत्र के आधार पर दिनांक 19.05.2011 को इन्तकाल दर्ज किया गया एवं इसी दिनांक को आईएलआर द्वारा मिलान किया गया है एवं अगले ही दिन उक्त इन्तकाल रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा स्वीकृत किया गया है। जिससे भी स्पष्ट है कि रेस्पोडेन्ट्स ने आपस में मिलीभगत कर आनन-फानन में उक्त इन्तकाल स्वीकृत किया है जो काबिले निरस्ती के है। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ता 5 को इस तथ्य का भली-भांति इल्म था कि विवादित भूमि का एक तमलीकनामा उनके पति/पिता के द्वारा अपीलान्ट के पक्ष में अपनी स्वेछा व स्वस्थचित बुद्धि से रोबरू गवाहान निष्पादित कर पंजीबद्ध करवाया गया है जो कि एक रजिस्टर्ड दस्तावेज है लेकिन रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ता 5 ने लालचवश अपीलांट

उपखण्ड अधिकारी
घड़साना

को नुकसान पंहुचाने के उद्देश्य से गुपचुप तरीके से वास्तविक तथ्यों को छुपाकर उक्त सारी कार्यवाही की है जो स्थिर योग्य नहीं है। उक्त आलौच्य इन्तकाल का सर्वप्रथम ईल्म अपीलांट को दिनांक 13.08.2014 को पटवारी हल्का के माध्यम से हुआ जब अपीलांट ने पटवारी हल्का से अपने नाम तमलीकनामा के आधार पर भूमि दर्ज करवाने हेतु सम्पर्क किया तो हल्का पटवारी ने अपीलांट को बताया कि उक्त भूमि का विरास्तन इन्तकाल दर्ज हो चुका है तत्पश्चात् रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ता 5 से मिली तथा कहा कि आपने अपने नाम से विरास्तन इन्तकाल क्यों दर्ज कराया है। आपको यह भली–भांति ईल्म था कि उक्त वर्णित भूमि आपके पति/पिता द्वारा मुझ अपीलांट को जरीये तमलीकनामा दी हुई है। इसलिये आप मुझ अपीलांट का तमलीकनामा के आधार पर इन्तकाल दर्ज करवाने में सहयोग करें तो रेस्पोडेन्ट्स ने अपीलांट के पक्ष में इन्तकाल दर्ज करवाने में सहयोग देने से स्पष्ट इन्कार कर दिया। तत्पश्चात् अपीलांट ने उक्त आलौच्य आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि दिनांक 14.08.2014 को हासिल की। अब अपील अपीलांट ईल्म के रोज से अन्दर मियाद पेश है। अतः अपील पेश कर निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 20.05.2011 जिसकी रूह से चक 4 एसटीआर मु.नं. 11 प.नं. 44/25 के किला नं. 6, 7, 14, 15, 17 मु.नं. 12 प.नं. 44/33 के किला नं. 8 ता 13, 18 ता 20 इस प्रकार कुल 3.515 हैक्टेयर कमाण्ड/अनकमाण्ड भूमि का इन्तकाल संख्या 119 रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ता 5 के नाम से विरासतन दर्ज किया गया, को निरस्त कर उक्त भूमि अपीलांट के नाम से दर्ज कर इन्तकाल स्वीकृत करने के आदेश दिये जावे।

अपील के साथ प्रस्तुत एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का अवलोकन कर अपील पेश करने में हुई देरी को क्षमा करते हुए अपील श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार में होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया गया।

रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से प्रमाणित रिकॉर्ड प्राप्त किया गया। शेष रेस्पोडेन्ट्स की ओर से अधिवक्ता श्री मनफूल जाखड़ उपस्थित आए।

वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील अपीलांट ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि disputed land रामकुमार के नाम दर्ज थी। रामकुमार ने अपीलांट के पक्ष में दिनांक 08.05.1972 को पंजीकृत तमलीकनामा करवाते हुए उक्त भूमि अपीलांट को दी थी एवं अपीलांट इसी से भरण पोषण कर रही थी। इस संबंध में रामकुमार के समस्त वारिसान को जानकारी होने के बावजूद भी उन्होंने इस भूमि का विरासतन इंतकाल दर्ज करवा लिया। उक्त इंतकाल दर्ज करते समय अपीलांट को सुना नहीं गया। उक्त भूमि पर कब्जा भी अपीलांट का ही था। इसलिए उक्त इंतकाल को निरस्त कर उक्त भूमि को अपीलांट के पक्ष में हुए तमलीकनामा के आधार पर अपीलांट के नाम दर्ज करने के आदेश प्रदान करें। दौराने बहस वकील रेस्पोडेन्ट्स ने निवेदन किया कि अपीलांट की इसी तमलीकनामा के आधार पर एक अन्य अपील 11/2014 जो चक 7 जीडी

उपखण्ड अधिकारी
घड़साना

की भूमि से संबंधित थी, पूर्व में खारिज हो चुकी है जिसकी अपील अपीलांट ने माननीय न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर में की थी एवं माननीय न्यायालय द्वारा भी उक्त अपील खारिज कर दी गई। इसके अतिरिक्त अपीलांट द्वारा इस न्यायालय में ही एक घोषणात्मक वाद पत्र अनवान नवीता बनाम भागवन्ती आदि पेश किया था जो आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के निर्णय में ही खारिज हो चुका है। इस निर्णय के विरूद्ध भी अपीलांट द्वारा सक्षम न्यायालय में अपील की गई एवं वह अपील भी खारिज हो चुकी है। इस प्रकार अपीलांट के द्वारा प्रस्तुत तथ्यों को पूर्व में विभिन्न न्यायालयों द्वारा सारहीन किया जा चुका है। तमलीकनामा से विधिक दृष्टि से भूमि स्थानान्तरण नहीं होती एवं ना ही अपीलांट के पक्ष में कोई अधिकार सृजित होते हैं। तमलीकनामा होने के समय अपीलांट नाबालिग मात्र 1 वर्ष की थी एवं अपीलांट के द्वारा उक्त तमलीकनामा के संबंध में Acceptance भी नहीं दी गई है। तमलीकनामा वर्ष 1972 का है जबकि अपीलकृत इन्तकाल रेस्पोडेन्ट्स द्वारा वर्ष 2011 में करवाया है। यदि अपीलांट को उक्त भूमि के संबंध में अधिकार प्राप्त हैं तो इस दौरान इतना समय बीत जाने के बाद भी अपीलांट द्वारा भूमि अपने नाम करवाने के लिए कोई कार्यवाही क्यों नहीं की गई? तमलीकनामा केवल अपीलांट के भरण पोषण के लिए किया गया था जब तक अपीलांट नाबालिग एवं अविवाहित थी। केवल मात्र तमलीकनामा से अपीलांट के पक्ष में कोई right creat नहीं होते हैं। इसलिए अपील खारिज किए जाने का निवेदन किया गया।

वकील उभयपक्ष की बहस पर मनन करने के पश्चात् एवं पत्रावली का अवलोकन करने के पश्चात् पाया गया कि अपीलांट की अपील का मुख्य आधार रामकुमार द्वारा अपीलांट के पक्ष में वर्ष 1972 में किया गया तमलीकनामा है। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ता 5 के पक्ष में विरासतन इन्तकाल वर्ष 2011 में दर्ज किया जा चुका है। इस बीच लगभग 39 वर्ष की अवधि के दौरान अपीलांट द्वारा उक्त तमलीकनामा के आधार पर राजस्व रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करने हेतु कोई प्रयास किया जाना प्रतीत नहीं होता है। तमलीकनामा के समय अपीलांट की उम्र मात्र 1 वर्ष थी। इसलिए अपीलांट के द्वारा तमलीकनामा की Acceptance दिया जाना प्रतीत नहीं होता है। तमलीकनामा कोई ट्रांसफर डीड नहीं है बल्कि केवल भूमि की देखभाल व भरण–पोषण के लिए ही है। इस अपील में अपीलांट ने इन्तकाल संख्या 119 को प्रश्नगत किया है जिससे उक्त भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ता 5 के नाम दर्ज हो चुकी है। न्यायालय का मत है कि अधीनस्थ न्यायालय ने विरासतन इन्तकाल संख्या 119 दिनांक 20.05.2011 को पारित करने में कोई विधिक भूल नहीं की है।

अतः अपील अपीलांट स्वीकार योग्य नहीं होने के कारण अस्वीकार की जाती है।

यह आदेश आज दिनांक 01.09.2022 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय मे लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(अभिलाषा)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
घड़साना

01.9.22 पत्रावली पेश। वकील उभयपक्ष उप०। बहस
पर मनन करने एवं पत्रावली का अवलोकन
करने के बाद अपील स्वीकार की जानी न्यायोचित
प्रतीत नहीं होती है अतः अपील अपीलार्थी
अस्वीकार की जाती है। विस्तृत निर्णय पृथक
से लिखाया जाकर शामिल मिसल किया गया।
पत्रावली बाद तरतीब तकमील जेर नियम दाखिल दफ्तर हो।

([illegible])
उपखण्ड अधिकारी
घड़साना